बिहार में नरेगा

रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के मामले में बिहार के मज़दूरों का अनुपात देश भर में सबसे अधिक है। 24 मार्च को तालाबंदी लागू किए जाने का सबसे बुरा असर प्रवासी मज़दूरों पर पड़ा। नौकरी चले जाने की वजह से दूसरे शहरों में काम करने वाले अधिकांश मज़दूरों को वापस लौटना पड़ा। राज्य सरकार ने मई के अंत से अब तक 18 लाख प्रवासी मज़दूरों के वापस आने का आँकड़ा दर्ज किया है और रोज़गार के लिए उनके कौशल का पता लगाया है। वापस लौटे प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार के लिए अपने गाँव में नरेगा के भरोसे रहना होगा। लेकिन बिहार में नरेगा के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? जिन लोगों ने काम माँगा उनमें से कितने लोगों को काम मिला? जिस पैमाने पर काम माँगा गया क्या उस आधार पर काम सृजित किए गए? ये और ऐसी ही सवाल इस रपट में है।

रोज़गार गारंटी के लिए जन कार्रवाई (पीएईजी), 31 अगस्त, 2020
(Peoples' Action for Employment Guarantee (PAEG),

मुख्य बिंदु

- इस साल बिहार में 11.01 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए।
- इस साल 34.30 लाख परिवार को काम दिया गया, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है।
- इस साल 5 महीने से भी कम में 10.61 करोड़ मानवदिवस सृजित किए गए।
- 18.19 प्रतिशत ऐसे परिवार थे जिन्होंने काम माँगा लेकिन उनको काम नहीं मिला।
- इस साल औसतन प्रति परिवार 31 दिन और प्रति व्यक्ति 27 दिन काम मिला।
- नरेगा मज़दूरों का बयान।
- इस साल बिहार के महत्वाकांक्षी ज़िले खगड़िया और सीतामढ़ी में एक चौथाई परिवार जबकि मुज़फ़्फ़रपुर और कटिहार ज़िले में 1/5 परिवार को नरेगा के अंतर्गत काम नहीं मिला।
- 12 ज़िले में मज़दूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 से अधिक रहा।
- इस साल 36.02 करोड़ रुपये की मज़दूरी की राशि अस्वीकृत की गई।

आवरण चित्र: जल संरक्षण कार्य, कुरहनी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर जिला

रोज़गार गारंटी के लिए जन कार्रवाई (पीएईजी) कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और जन संगठनों के सदस्यों का एक समूह है जो 2004 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) की वकालत करने के लिए एक साथ आए थे। पीएईजी शोध और वकालत के माध्यम से नरेगा कार्यान्वयन को मज़बूत करने के लिए जन सुनवाई और सहभागिता विकसित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की आशा रखता है। पीएईजी बहुत से आंदोलनों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ मिलकर शहरी रोज़गार गारंटी के लिए विचार विमर्श कर रहा है।

11 लाख नये जॉब कार्ड

देश भर में 81.43 लाख परिवारों को नये जॉब कार्ड मिले, उनमें से 1 अप्रैल, 2020 तक बिहार में 11.01 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए। इसका मतलब है कि इस साल देश में जारी कुल नये जॉब कार्ड में बिहार की 14.17% हिस्सेदारी है।

तालिका 1 - 2020-21 में शामिल किए गए परिवार और व्यक्ति

चुनिंदा राज्य	इस वर्ष शामिल किये गए परिवार (लाखों में)	इस वर्ष शामिल किये गए व्यक्ति (लाखों में)
बिहार	11.01	14.17
छत्तीसगढ़	2.34	8.22
झारखंड	3.72	5.19
कर्नाटक	3.94	9.69
मध्य प्रदेश	5.42	15.19
ओडिशा	4.06	9.73
उत्तर प्रदेश	20.82	30.75
पश्चिम बंगाल	6.66	13.77
सभी राज्य	**81.43**	**158.15**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1 अभिगमन 31 अगस्त 2020		

34 लाख परिवारों को रोज़गार मिला

- यह पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है। अप्रैल को छोड़कर, इस साल अगस्त महीने तक बिहार में जितने परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया वह इस अवधि में पिछले 3 सालों में मिलने वाले रोज़गार से डेढ़ गुना अधिक है।
- हालाँकि, केवल 2,136 परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया जबकि मध्य प्रदेश में 33,000 तथा राजस्थान में 27,000 परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा किया (तालिका 2 देखें)

11 करोड़ मानवदिवस

पहले 5 महीने में ही सृजित किया गया जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 14 करोड़ मानवदिवस सृजित किए गए।

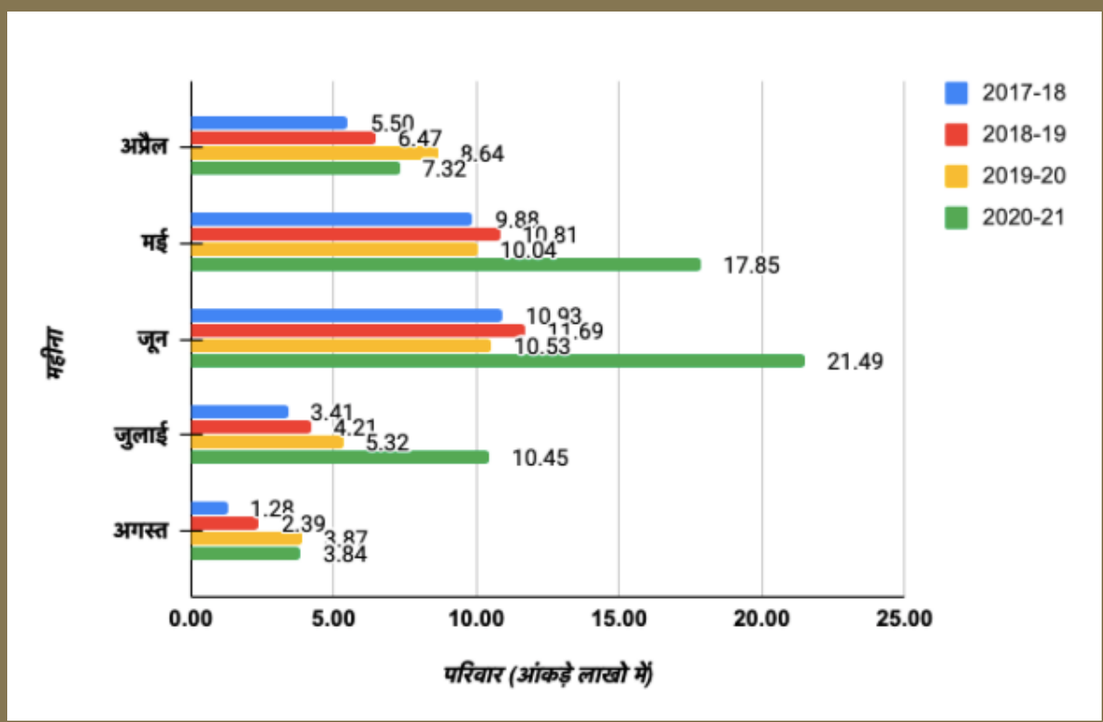

आकृति 1. वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के पहले पांच महीनों में बिहार में परिवारों को कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया

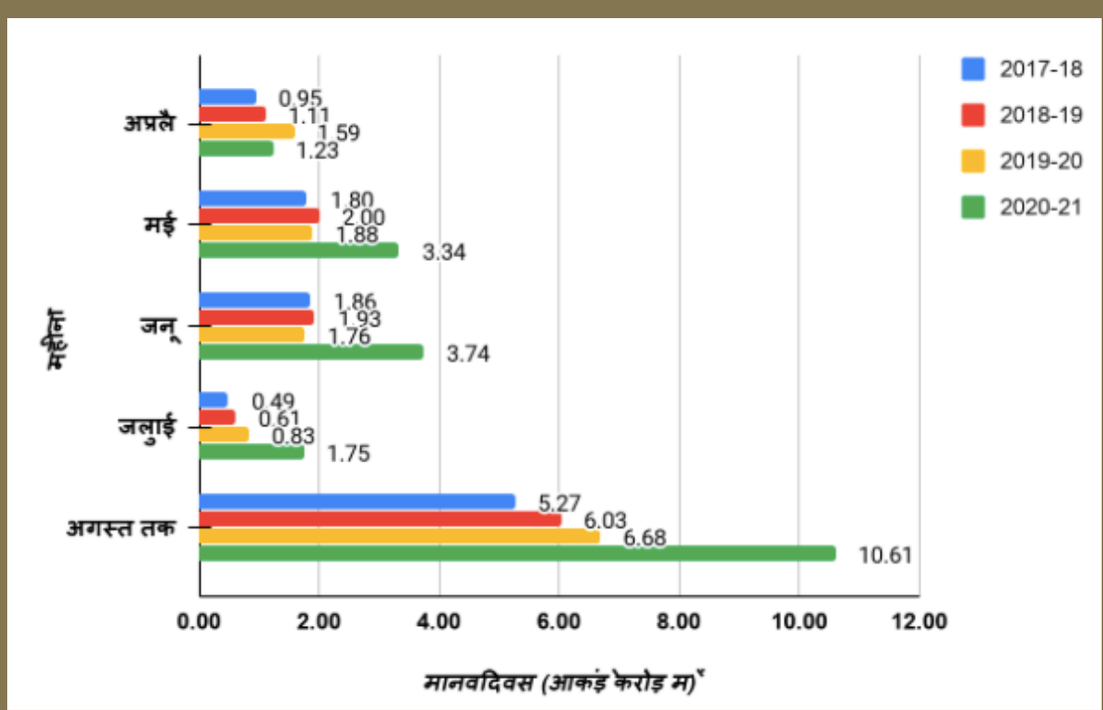

आकृति 2. वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के पहले पांच महीनों में बिहार में कितने मानवदिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया

आकृति 1 और आकृति 2 के लिए डेटा MGNREGA एम् आई इस रिपोर्ट R5.1.1 से 31 अगस्त 2020 को प्राप्त किए गए थे

नरेगा के तहत नियोजित महिलाओं के अनुपात में 2% की गिरावट

- बिहार में, कुल मानवदिवस में इस साल महिलाओं का अनुपात 54% रहा जो 2019-20 में 56% था।
- इसके विपरीत, मध्य प्रदेश में यह 38% से बढ़कर 41% हो गया।

तालिका 2. नरेगा प्रदर्शन की राज्यवार तुलना

		बिहार	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश	राजस्थान
जॉब कार्ड में शामिल व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)		14.34	8.25	15.37	17.78
व्यक्तियों का अनुपात जिन्होंने काम की मांग की लेकिन रोज़गार नहीं दिया गया (% में)		20.05	19.43	22.49	13.85
100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार		2,136	81,650	33,639	27,392
कुल मानवदिवस में महिलाओं का अनुपात	2019-20	55.85	50.7	38.11	67.31
	2020-21	54.11	50.47	40.9	65.32
एस.सी परिवारों का अनुपात	2019-20	22.29	10.56	16.23	19.51
	2020-21	21.79	10.65	15.92	19.43
स्रोत - नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1 और R5.1.5 ; अभिगमन 31 अगस्त 2020					

18% लोगों को काम नहीं मिला

बिहार में इस साल औसतन प्रति परिवार 31 दिन और प्रति व्यक्ति 27 दिन काम मिला। बिहार में केवल 2,136 परिवारों ने 100 दिन का रोज़गार पूरा किया। इसके विपरीत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्रमशः 2.5 लाख, 81,000 और 33,000 परिवारों में रोज़गार का 100 दिन पूरा किया।

तालिका 3. काम की मांग और काम की उपलब्धी - परिवारों को 2020-21 में

महीना	काम की मांग करने वाले परिवार (आंकड़े लाखों में)	परिवार जिन्हें काम की उपलब्धि हुई (आंकड़े लाखों में)	परिवार जिन्हें काम की मांग के बाद काम की उपलब्धि नहीं हुई (आँकड़े प्रतिशत में)
अप्रैल	8.57	7.32	14.56
मई	20.43	17.84	12.68
जून	26.21	21.49	18.01
जुलाई	13.40	10.44	22.07
अगस्त तक	41.93	34.30	18.19
स्त्रोत : नरेगा एम् आई इस रिपोर्ट R.5.1.1 अभिगमन 31/08/2020			

- नरेगा के तहत, काम करने की माँग के 15 दिनों के भीतर मज़दूर को काम प्रदान किया जाना चाहिए, काम नहीं मिलने की स्थिति में वह बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार हैं।
- बेरोज़गारी भत्ता (यूए) 30 दिनों तक मज़दूरी का एक चौथाई है और 30 दिनों के बाद यह मज़दूरी का आधा है।
- अररिया जिले के अररिया ब्लॉक में 30 पंचायतों के बेरोज़गारी भत्ता आँकड़ा से पता चला है कि 1,854 जॉब कार्ड 34,975 दिनों के बेरोज़गारी भत्ते के योग्य थे। यह राशि 17.96 लाख रु. है, जिसकी गणना बिल्कुल नहीं की गई है, क्या इसका भुगतान होगा।

नरेगा फंड की कमी

- 'कुल आवंटित धन' और 'भुगतान व्यय सहित कुल व्यय' के बीच का अंतर 'नेट उपलब्ध शेष ' कहलाता है।
- बिहार का नेट उपलब्ध शेष नकारात्मक 159 करोड़ है।
- उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ओडिशा में भी नकारात्मक नेट उपलब्ध शेष है। केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन राज्यों को धन जारी करने की आवश्यकता है। अन्यथा, यह श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी का परिणाम देगा।

हमारी पंचायत में नरेगा मज़दूर संगठित हैं। इसीलिए हम तालाबंदी के दौरान नरेगा के तहत काम करने के लिए प्रशासन को बाध्य करने में सक्षम हुए। इस वर्ष लगभग 200-250 श्रमिकों को न्यूनतम 4 सप्ताह का रोज़गार मिला। कुछ लोगों को उनके काम के लिए भुगतान नहीं मिला है। पंचायत में बाहर से वापस आने वाले प्रवासी मज़दूर सबसे अधिक प्रभावित हुए क्योंकि उनके आगमन पर उन्हें जॉब कार्ड दिए जाने के बावजूद उन्हें रोज़गार के पर्याप्त दिन नहीं मिले। इसलिए अधिकांश प्रवासी शहरों में काम की तलाश में वापस चले गए हैं, यह जानने के बावजूद कि शहरों में कोविड -19 के मामलों की संख्या बढ़ रही है।

- जितेंद्र पासवान (चितोरिया पंचायत, मनसाही ब्लॉक, कटिहार जिला)

तालाबंदी प्रतिबंध के कारण मैं मई में दिल्ली से लौटा। मेरे गाँव लौटने के बाद क्वारंटीन के दौरान श्रम विभाग के कुछ अधिकारी आए और मेरी जानकारी ली। उन्होंने वादा किया कि गाँव में प्रवासियों को काम उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे गाँव के मुखिया ने वृक्षारोपण कार्य में रोज़गार की व्यवस्था की। हमें बताया गया था कि हमें काम के लिए मनरेगा मज़दूरी (रु 194 प्रति दिन) मिलेगा। 30 दिनों तक काम करने के बाद हमें बताया गया कि सरकार केवल 50 रुपये प्रति दिन की दर से मज़दूरी प्रदान कर रही है। हमने नरेगा मज़दूरी की माँग की, लेकिन हमें भुगतान किया जाना बाक़ी है। मैंने 'ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान' के तहत काम के लिए आवेदन किया था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि काम उपलब्ध होने पर मुझे सरकार की तरफ़ से फ़ोन आएगा। लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और मुझे कोई फ़ोन नहीं आया है। मैं दिल्ली वापस लौटने और काम की तलाश करने की योजना बना रहा हूँ। भूख की तुलना में COVID-19 उतना बड़ा जोखिम महसूस नहीं होता है।

- अरुण यादव (चितोरिया पंचायत, मनसाही ब्लॉक, कटिहार जिला)

हमें इस वर्ष केवल 4-7 दिन का काम मिला है। आस-पास की पंचायतों के लोगों ने हमें बताया कि उन्हें दो सप्ताह का काम मिला है। जून में, फ़सल के मौसम के दौरान, कुछ श्रमिकों ने खेतों पर काम किया लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में कम मज़दूरी पर। मेरा परिवार हमारे खेत में मक्का उगाता है। इस बार मक्के के उपज की क़ीमत 950 रुपये प्रति क्विंटल मिला जबकि पिछले साल हम 1850 रुपये प्रति क्विंटल तक बेच पाए थे। इन परिस्थितियों में, सरकार हमें नरेगा के तहत काम नहीं दे पा रही है। हम बेरोज़गारी भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में हमें काम मिलेगा। सरकार ने घोषणा की कि 'वृक्षारोपण' का काम नरेगा मज़दूरों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हममें से किसी को भी काम नहीं मिला। वह काम निजी ठेकेदारों को दिया गया था।

- अखिलेश कुमार (लक्ष्मीपुर पंचायत, कुर्साकांटा ब्लॉक, अररिया जिला)

मेरे परिवार के तीन सदस्यों और मैंने अप्रैल में नरेगा के तहत काम के लिए आवेदन किया। लेकिन अब तक हमने प्रति व्यक्ति केवल 12 दिनों के लिए रोज़गार प्राप्त किया है। तकनीकी रूप से हमें अपने घर में 48 दिनों का रोज़गार मिला है। लेकिन वर्तमान संकट के तहत जब हमें नरेगा के अलावा कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, तो प्रति परिवार 100 दिन का काम पर्याप्त नहीं है। हमारे पंचायत के अधिकांश नरेगा मज़दूरों को पिछले दो महीनों में रोज़गार नहीं मिला है। जब हमने इस मुद्दे को अपने पंचायत मुखिया के समक्ष उठाया, तो उसने कहा कि कोई काम नहीं है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं, जो अपने मज़दूरों से काम कराते हैं। सरकार के प्रतिनिधि भी हमारी माँगों पर आँखें मूँद लेते हैं क्योंकि वे ठेकेदार लॉबी से डरते हैं।

- अयूब (चाहतपुर पंचायत, पलासी ब्लॉक, अररिया जिला)

बिहार में ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान वाले ज़िले में नरेगा की स्थिति

- 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया ग़रिब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए), जिसका उद्देश्य सार्वजनिक काम, निर्माण गतिविधियों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना है ताकि प्रवासी मज़दूरों और अन्य ग्रामीण निवासियों को रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। भले ही नरेगा ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान का केवल एक घटक है, फिर भी हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि कम-से-कम चयनित ज़िलों में इससे नरेगा कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलना चाहिए।
- ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत चुने गए 116 ज़िलों में से, बिहार से 32 सर्वाधिक पलायन वाले ज़िलों (12 महत्वाकांक्षी ज़िलों सहित) को ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित किया गया था।

बिहार का मानचित्र गैर-जीकेआरए जिलों, जीकेआरए जिलों और जीकेआरए के तहत शामिल आकांक्षात्मक जिलों को दर्शाता है

जीकेआरए ज़िलों और ग़ैर-जीकेआरए ज़िलों के बीच नरेगा में रोज़गार कोई अंतर नहीं।

जीकेआरए ज़िलों में प्रति परिवार 31 मानवदिवस तथा ग़ैर-जीकेआरए ज़िलों में प्रति परिवार 32 मानवदिवस सृजित किए गए, लेकिन जिस अनुपात में काम की माँग होने पर भी परिवारों को काम नहीं दिया गया उसका प्रतिशत जीकेआरए ज़िलों में 18% और गैर-जीकेआरए ज़िलों में 16% था।

खगड़िया और सीतामढ़ी जैसे ज़िलों में, काम की माँग करने वाले 1/4 परिवारों को काम नहीं मिला। जबकि,अररिया, बेगूसराय, मुज़फ़्फ़रपुर और कटिहार में, 1/5 परिवारों को काम नहीं मिला।

तालिका 4. आकांक्षी जिलों में उपलब्ध कराए गए कार्य और रोजगार के संदर्भ में नरेगा की स्थिति

जी.के.आर.ए के तहत एस्पिरेशनल जिले	जिन परिवारों ने मांग की थी लेकिन उन्हें काम नहीं दिया गया (%)	50 दिनों से कम रोज़गार वाले परिवारों का प्रतिशत (% में आंकड़े)
अररिया	20	82
औरंगाबाद	13	84
बांका	17	85
बेगूसराय	21	87
गया	17	84
जमुई	15	84
कटिहार	21	84
खगरिया	30	87
मुज़फ़्फ़रपुर	20	87
नवादा	14	83
पूर्णिया	14	84
सीतामढ़ी	25	90
स्रोत - नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1, और R5.1.4; अभिगमन 31 अगस्त 2020		

12 ज़िलों में सामग्री आधारित काम अपनी सीमा से अधिक हुआ

- पंचायत में नरेगा के तहत किसी भी काम पर ख़र्च किए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपये में से न्यूनतम 60 रुपये मज़दूरी पर ख़र्च किया जाना चाहिए और 40 रुपये से अधिक सामग्री पर नहीं। किसी भी कार्य का वेतन घटक उसकी कुल लागत का कम-से-कम 60% होना चाहिए और सामग्री घटक कुल लागत का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे मज़दूरी और सामग्री अनुपात कहा जाता है जिसे हमेशा 60:40 पर बनाए रखा जाना चाहिए।
- बेरोज़गारी अपनी उच्चतम अवस्था पर है और 17% लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में बिहार में सामग्री-आधारित कार्यों में वृद्धि हुई है जो कि एक चिंताचनक स्थिति है।
- कुल नरेगा ख़र्च का 39% सामग्री पर हुआ है, जबकि इसकी तुलना में पिछले साल यह ख़र्च 21% था, राज्य के 12 ज़िलों में मज़दूरी-सामग्री अनुपात 60:40 से बढ़ गया है।

तालिका 5 ऐसे जिले जहां सामग्री मजदूरी व्यय अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक हो गया है

जिला	सामग्री पर व्यय का अनुपात (%)
अरवल	52.34
औरंगाबाद	49.30
बेगूसराय	51.92
बक्सर	41.77
जमुई	46.76
जहानाबाद	45.10
लखीसराय	52.00
मधेपुरा	47.88
मुंगेर	64.50
नवादा	42.81
शिवहर	55.83
वैशाली	44.10
बिहार का भव्य कुल	**38.97**

स्रोत - नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R7.1.1; अभिगमन 31 अगस्त 2020

नरेगा मज़दूरी में देरी को समझना: अस्वीकृत भुगतान क्या है?

अस्वीकृत लेनदेन बाउंस चेक की तरह है। विभिन्न प्रकार के तकनीकी कारणों जैसे कि ग़लत खाता संख्या, मज़दूरों के बैंक खाता के आधार संख्या से जुड़े न होने आदि के कारण उसके वेतन भुगतान को अस्वीकार किया जा सकता है। देश भर में प्रत्येक 23 लेन-देन में से लगभग 1 आधार संख्या में गड़बड़ी या ऐसे ही अन्य कारणों से अस्वीकृत हो जाता है।

मज़दूरों को आमतौर पता नहीं होता है कि इस अस्वीकृत भुगतान को कैसे ठीक कराया जाए। कई मामलों में अधिकारियों तक को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जब तक इसे सही ढंग से ठीक नहीं किया जाता, तब तक एक मज़दूर के खाते में होने वाले लेनदेन को हर बार अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह वे नरेगा में काम करते रहेंगे लेकिन उन्हें कभी भुगतान नहीं किया जाएगा। जब तक इसे सही तरीके से ठीक नहीं किया जाता है, तब तक मज़दूर को अपनी मज़दूरी नहीं मिलती और मज़दूर आमतौर पर इसे ठीक कराने की कोशिश में यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। इसके अलावा इस समस्या का समाधान होने तक मज़दूरों को कोई विलंब मुआवज़ा नहीं दिया जाता है।

तालिका 6 में कॉलम 2 पिछले 5 वर्षों में कुल अस्वीकृत लेनदेन की संख्या को दर्शाता है। कॉलम 3 में संबंधित मज़दूरी की उस राशि को दर्शाया गया जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। कॉलम 4 अस्वीकार किए गए लेन-देन की संख्या को दर्शाता है जो अभी तक हल नहीं किए गए हैं और कॉलम 5 मज़दूरी की उस राशि को दर्शाता है जो बिना समाधान के फँस गए हैं। 2020-21 के लिए, मज़दूरों की बिना किसी ग़लती के 36.02 करोड़ रुपये की मज़दूरी को अस्वीकृत कर दिया गया। और, 2016-17 से 2019-20 के दौरान मज़दूरों का 98.78 करोड़ रुपये इसी तरह अस्वीकृत कर दिया गया।

तालिका 6. 2016-17 से 2020-21 तक बिहार में अस्वीकृत लेनदेन की स्थिति

साल	कुल अस्वीकृत लेनदेन (लाख में)	कुल अस्वीकृत लेनदेन राशि (करोड़ों में)	कुल लेनदेन लंबित (लाखों में)	कुल लंबित अस्वीकृति राशि (करोड़ों में)
2016-17	3.02	50.40	1.21	20.04
2017-18	2.36	43.85	1.16	21.22
2018-19	2.71	56.52	1.22	25.27
2019-20	3.77	84.52	1.44	32.25
2020-21	1.69	41.27	1.48	36.02
संपूर्ण	13.55	276.57	6.50	134.80
नोट - 2020-21 डाटा 31 अगस्त तक है और बाकी डाटा पूरे वर्ष के लिए है। स्रोत - एम.आई.एस रिपोर्ट R8.1.5; अभिगमन 31 अगस्त 2020				

- कई मामलों में, ब्लॉक अधिकारी वास्तव में मुख्य मुद्दे को हल किए बिना एक अस्वीकृत मज़दूरी भुगतान के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र ऑर्डर (एफटीओ) जारी कर देते हैं। इस तरह के लेन-देन को उस मामले में ख़ारिज कर दिया जाता है।
- **इसका मतलब है कि 194 रुपये की दैनिक मज़दूरी दर (2020-21 के लिए दैनिक मज़दूरी दर) के हिसाब से सरकार की ग़लतियों के लिए मज़दूरों (अस्वीकार) को लगभग 69.48 लाख मानवदिवस का भुगतान नहीं किया गया है** (ध्यान दें कि दैनिक मज़दूरी दर वर्ष 2020-2021 से पहले 194 रुपये से भी कम थी उस हिसाब से 69.84 लाख मानवदिवस कम करके आँका गया है)।

तालिका 6 में, MIS रिपोर्ट R8.1.5 में 'कुल अस्वीकृत लेनदेन' से 'अस्वीकृत सफल लेनदेन' को घटाकर कुल लंबित अस्वीकरणों की गणना की गई है।

समवर्ती ऑडिट 744 पंचायतों में पूरा हुआ

यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं की अगुवाई वाली सोशल ऑडिट टीम बिहार के पंचायतों में चल रहे नरेगा कार्यों का समवर्ती ऑडिट कर रही है। हालाँकि ये रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक रूप से या नरेगा MIS में उपलब्ध नहीं है।

सभी आँकड़ों का स्रोत: www.nrega.nic.in, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।रिपोर्ट को 31 अगस्त, 2020 को डाउनलोड किया गया।

हिंदी अनुवाद - ज़फर इक़बाल

किसी भी तरह की टिप्पणी और सवाल के लिए संपर्क करें: paeg.india@gmail.com

एम एस रौनक़ (8800901304), राजेंद्रन (9620318492), अनिंदिता (9871832323), देबमलया (7294184845), रक्षिता (9818838588)